

17/2002
प्रो. प्रो. निदेशक,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,
उत्तर क्षेत्रीय समिति,
ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर,
जयपुर।

जयपुर, दिनांक: 27.12.04

1

विषय - बो.एड./ शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम संचालन हेतु सत्र 2005-06 के लिए
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि सलग्न सूची अनुसार संस्थाओं को
बो.एड./ शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रत्येक को 100 सीटों के लिए वर्ष 2005-06
के लिए निर्धारित निर्धारित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है -

शर्तें -

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्णतः अस्थायी जारी किया जाता है। यह अस्थायी प्रमाण पत्र
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन कोष में रु. 10,000/- जमा कराने पर ही मान्य होगा।
2. आगामी सत्र 2006-07 के लिए विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र वृद्धि किये जाने के
पश्चात् ही महाविद्यालय में प्रवेश लिये जा सकेंगे।
3. प्रशिक्षण महाविद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ही अव्ययन
करवाया जायेगा।
4. संस्थान राजस्थान संस्था राजस्वीकरण अधिनियम 1958 के तहत रजिस्टर्ड अधिनियम में
निर्धारित किसी भी नियम/उपनियम की अवहेलना करने पर महाविद्यालय को प्रदत्त
अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जावेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश पी.टी.ई.टी. के माध्यम से निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही होगा।
6. संस्थान के नियमों में किसी प्रकार का संशोधन/पारिवर्तन करने अथवा मैनेजमेन्ट आदि
में परिवर्तन होने पर विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित करना होगा।
7. संस्थान द्वारा प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रत्येक संबंधित रिकार्ड का विधिवत संचारण
आवश्यक होगा।
8. महाविद्यालय को नियमानुसार निर्धारित योग्यता रखने वाले शत-प्रतिशत स्टाफ को
संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित चयन समिति के अनुसार नियुक्त करने होंगे तथा
विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतन श्रृंखला देय होगी। वेतन बैंक पद्धति से देय होगा।
9. स्टाफ को नियुक्ति के साक्षात्कार में विभागीय प्रतिनिधि उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा का
उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा इस शर्त का निश्चित रूप से पालन किया जाना है।
10. प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए अकादमिक भवन व छात्रावास हेतु पूर्ण रूप से सुर्जित
भवन पृथक-पृथक होना अनिवार्य होगा। विशेष रूप से अकादमिक भवन में दो कक्षा
कक्ष, लॉल, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला एवं स्टाफ कक्षा का होना आवश्यक होगा।
11. पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, नल, बिजली, शौचालय, ग्रेलकूब आदि के मैदान व
अन्य साज समान की पर्याप्त व्यवस्था होना अनिवार्य होगा। पुस्तकालय में अच्छी
पाठ्यपुस्तकों एवं सन्दर्भ पुस्तकों अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायी जावें। साथ ही
छात्राओं के लिए अच्छा कॉमन रूम व प्रसाधन उपलब्ध हों।

27/12

C:\2005\OBS\10(1)2002 (NOC).doc

प्रो. प्रो. निदेशक
शान्ति
आदर्श दाल सलाह समिति
पुरखीपुरा जयपुर

340	जयपुर कालेज आफ एज्युकेशन श्यामनगर जयपुर	महिला	बी.एड.	100 सीटे
341	अनुराधा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सचिवालय विहार सागानेर जयपुर	महिला	बी.एड.	100 सीटे
342	सेन्ट विलफ्रिड टीचर्स ट्रेनिंग कालेज मानसरोवर जयपुर	सहशिक्षा	बी.एड.	100 सीटे
343	श्री बालाजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय झोटवाडा जयपुर	महिला	बी.एड.	100 सीटे
344	आदर्श बाल शाला महिला शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र मुरलीपुरा स्कीम जयपुर	महिला	बी.एड.	100 सीटे
345	श्रीमती कमला देवी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जोधनेर जयपुर	महिला	बी.एड.	100 सीटे
346	बगरु शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बगरु जयपुर	सहशिक्षा	बी.एड.	100 सीटे
347	मैरीगोल्ड प्रशिक्षण महाविद्यालय बडपीपली चौमू रोड जयपुर	महिला	बी.एड.	100 सीटे
348	के.एम.डी. गेमोरियल कालेज आफ एज्युकेशन जयपुर	महिला	बी.एड.	100 सीटे
349	डी.सी.एस. शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय मानसरोवर जयपुर	महिला	बी.एड.	100 सीटे
350	राजत बी.एड. कालेज हीरापुरा जयपुर	महिला	बी.एड.	100 सीटे
351	सस्कार भारती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बगरु जयपुर	महिला	शिक्षास्त्री	100 सीटे
352	इण्डियन एजल्स महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवी नगर जयपुर	महिला	बी.एड.	100 सीटे

- 25 -

आदर्श बाल शाला समिति
मुरलीपुरा जयपुर

12. प्रशिक्षण महाविद्यालय को जिस नाम से व जिस स्थान के लिए स्वीकृति उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
13. महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया हेतु निर्धारित एजेन्सी से सम्पर्क किया जा
14. विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/नियमों की पालना करना अनिवार्य
15. मैनेजमेंट हेतु पृथक से सीटों का कोई आरक्षण नहीं होगा।
16. भवन सुरक्षा का प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त कर तत्प
- करना होगा तथा हर तीन वर्ष पश्चात इसका नवीनीकरण करना होगा।
17. शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक सक्षम अधिकारी सरस्थान व महाविद्यालय के रिकार्ड
- में भी समय आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण कर सकेगा।
18. प्रशिक्षण महाविद्यालय हेतु निर्धारित रिजर्व फण्ड में एक लाख रु. की राशि
- विश्वविद्यालय एवं संस्था के खाते में जमा कराना अनिवार्य होगा। इस शर्त
- किये बिना महाविद्यालय में प्रवेश देय नहीं होगा।
19. कभी भी आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व फण्ड की राशि का उपयोग करने हेतु
- द्वारा जारी किये गये निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा।
20. एनसीटीई से मान्यता पश्चात सहशिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रारम्भ
- के लिए संस्था द्वारा स्वयं के नाम से 10 लाख रु. की राशि 5 वर्ष के लिए स्थायी
- (एफ.डी.) की जाएगी। महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने हेतु स्थायी
- राशि 5 लाख रु. होगी। प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात इसका नवीनीकरण कराया जा
- विभाग की स्वीकृति पश्चात ही स्थायी जमा राशि ही निकाली जा सकेगी।
21. कभी भी आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व फण्ड की राशि का उपयोग करने हेतु
- द्वारा जारी किये गये निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा।
22. राज्य सरकार की ओर से इस हेतु किसी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा।
23. भीएड हेतु भवन छात्रावास एवं स्टाफ एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार रखना होगा।
24. आवश्यकतानुसार श्रुत्य-द्वय सामग्री उपलब्ध करवाई जावे।
25. विज्ञान एवं मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं का निर्माण एवं सुसज्जित किया जावे।
26. प्रशिक्षण महाविद्यालय से सम्बद्ध डिम्पेट्रेशन विद्यालय की व्यवस्था संस्था द्वारा
- करायी जावेगी।

भवदीय,

[Signature] 27/1/20

(एस. के. अग्रवाल)

उपशासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री/शिक्षा राज्य मंत्री/प्रमुख शासन सचिव
3. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, धीकानेर।
5. संचालित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
6. संचालित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा
7. संचालित संस्था
8. संचालित पत्रावली

[Signature] 27/1/20

विशेषाधिकारी शिक्षा